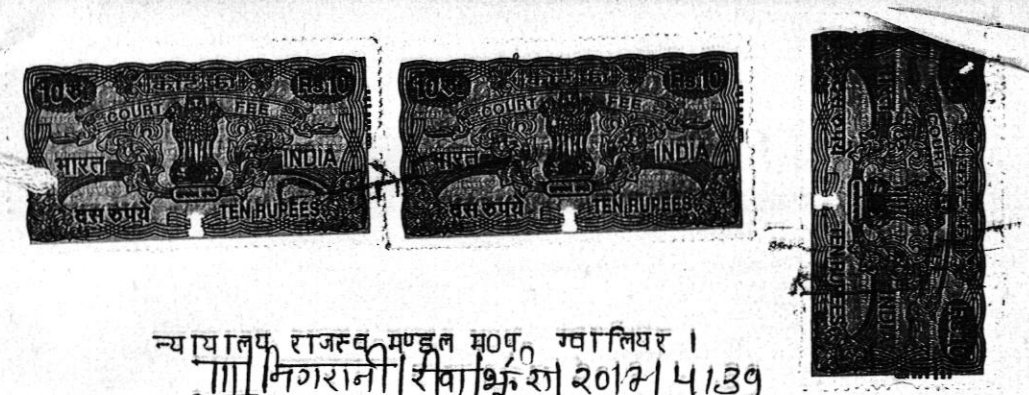

1
73

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ।
III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/4139
प्रकरण क्रमांक /

श्री रामसेवक शर्मा अभि0
द्वारा आज दि. 2-11-17 को
प्रस्तुत
2-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पं0कृ0 6-11-17

डॉ0 राममनोहर लोहिया शिक्षा समिति
तेंदुआ द्वारा अध्यक्ष / संचालक जनता
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुआ रमेश
मिश्र तनय स्व0 श्री पुरूषोत्तमराम मिश्रा,
आयु 66 वर्ष निवासी ग्राम टिकुरी -37,
तह0 मनगंवा जिला रीवा (म0प्र0)

---- आवेदक

विरूद्ध

2-11-16

महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 लाल कामता सिंह
निवासी ग्राम तेंदुआ , तह0 मनगंवा ,
जिला रीवा (म0प्र0)

------ अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 ~~क~~ नये संशोधन अधिनियम 2011
म0प्र0 भू0रा0 सं0 विरूद्ध आदेश दिनांक 30- 10-2017
द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग , प्रकरण क्र0
217/अपील/12-13 डॉ0 राम मनोहर लोहिया विरूद्ध महेन्द्रसिंह
के निर्णय से दुखित होकर ।

---0---

श्रीमान् जी ,

आवेदक की निगरानी तथ्यों व आधारों पर निम्नानुसार
प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, बाँके ग्राम तेंदुआ उन्मूलन स्थित सर्वे नम्बर

--2

--3

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4139

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10 –11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 217/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2–आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.9.17 में लेख किया गया है कि राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से मिलकर संहिता के प्रावधानों के विपरीत नामांतरण प्रमाणित कराया गया है। नामांतरण का आधार जरिये दानपत्र लिखा गया है, जबकि दान पत्र विलेख का विधिवत पंजीयन कार्यालय से पंजीयन होना चाहिये था। उनके द्वारा कोई भी दानपत्र का ,दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में यह भी लेख किया गया है कि नामांतरण पंजी में इश्तहार चस्पा नहीं है और न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर हैं। इसी आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पंजी पर नामांतरण आदेश को निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व**	

सत्यनारायण " माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं" । अपर आयुक्त रीवा के आदेश कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप उनका आदेश स्थिर रखने योग्य समझता हूँ।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार परं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 217/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य